

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016-17

जयपुर, दिनांक :

1. समस्त उप निदेशक, मबावि।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,.....मुख्यालय।

विषय:- लाईटस वेबसाईट पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा बैठक बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लाईटस सॉफ्टवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु उप शासन सचिव एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, लाईटस, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 27.06.2018 को बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 28.06.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार प्रकरणों की समीक्षा कर लाईटस सॉफ्टवेयर पर अपडेशन की सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रभारी अधिकारी उक्तानुसार संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कर लाईटस सॉफ्टवेयर पर अपडेट/इन्द्राज कराना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देशो की पूर्ण पालना की जावे अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

sd-

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016-17/23541-544 जयपुर, दिनांक : 5-7-18
प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
3. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईटस एवं वरिष्ठ उप शासन सचिव, मबावि विभाग, राज. जयपुर।
4. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

Ball

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक: प0 12(1)म.वा.वि./16/पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 28.06.2018

बैठक का कार्यवाही वितरण


न्याय विभाग के निर्देशानुसार तथा इस विभाग के समसंस्थक पत्र दिनांक 19.06.2018 के क्रम में लाईट्स वेबसाइट पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु अधोहरताक्षरकर्ता द्वारा आयुक्तालय, महिला अधिकारिता, जयपुर एवं निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर के अधिकारियों के साथ माह गई के अन्तिम बुधवार दिनांक 27.06.2018 को दोपहर 12.30 बजे एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी ने भाग लिया:

1. श्री देवेन्द्र पाल मीना,
उप विधि परामर्शी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।

श्री महेन्द्र पाल सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर के अवकाश पर रहने के कारण, आयुक्तालय, महिला अधिकारिता, जयपुर से कोई भी अधिकारी उक्त दिवस को उपस्थित नहीं हुआ किन्तु इस बाबत पुनः सूचित करने पर आज दिनांक 28.06.2018 को दोपहर 12.30 बजे श्री रामचन्द्र गुर्जर, प्रशासनिक अधिकारी, आयुक्तालय, महिला अधिकारिता, जयपुर से उपस्थित हुये।

उक्त अधिकारियों के साथ आयुक्तालय, महिला अधिकारिता, जयपुर एवं निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की निम्नानुसार समीक्षा की गई:-

आयुक्तालय, महिला अधिकारिता के कुल 108 न्यायिक प्रकरणों में रेड कैटेगरी केसेज, रिपालाई नोट फाइल्ड केसेज, कन्टेम्पट केसेज, निर्णित प्रकरणों की पालना से शेष रहे प्रकरण, ड्यू कोर्स के प्रकरण, बीस वर्ष से अधिक के लम्बित प्रकरण, अपील करने से रहे शेष प्रकरण, ए.ए.जी. की प्रविष्टियों से शेष रहे प्रकरणों आदि की स्थिति निम्नानुसार है:-


३३०,
०३१७
LS

ADCD
16
Director, ICDS
Jai, Jaipur
Receipt No. 24779
Date 27/7/18

क्र.सं.	प्रकरणों का विवरण	प्रकरणों की संख्या
1.	रेड कटेगरी केसेज	9
2.	रिपलाई नोट फाइल्ड केसेज	15
3.	कन्टेम्प्ट केसेज	5
4.	निर्णित प्रकरणों की पालना से शेष रहे प्रकरणों की संख्या	6
5.	ड्यू कोर्स के प्रकरण	0
6.	बीस वर्ष से अधिक के लम्बित प्रकरण	0
7.	अपील करने से रहे शेष प्रकरण	0
8.	ए.ए.जी. की प्रविष्टियों से शेष रहे प्रकरणों की संख्या	1

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी ने अवगत कराया कि सभी न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज लाइट्स सॉफ्टवेयर पर कर दिया गया है तथा भविष्य में समय-समय पर प्राप्त होने वाले न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज समय पर करने हेतु संबंधितों को निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं। प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति लाइट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से 100 प्रतिशत कर दी गई है।

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ के कुल 1310 न्यायिक प्रकरणों में रेड कटेगरी केसेज, रिपलाई नोट फाइल्ड केसेज, कन्टेम्प्ट केसेज, निर्णित प्रकरणों की पालना से शेष रहे प्रकरण, ड्यू कोर्स के प्रकरण, बीस वर्ष से अधिक के लम्बित प्रकरण, अपील करने से रहे शेष प्रकरण, ए.ए.जी. की प्रविष्टियों से शेष रहे प्रकरणों आदि की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.सं.	प्रकरणों का विवरण	प्रकरणों की संख्या
1.	रेड कटेगरी केसेज	40
2.	रिपलाई नोट फाइल्ड केसेज	263
3.	कन्टेम्प्ट केसेज	32
4.	निर्णित प्रकरणों की पालना से शेष रहे प्रकरणों की संख्या	183
5.	ड्यू कोर्स के प्रकरण	192
6.	बीस वर्ष से अधिक के लम्बित प्रकरण	6
7.	अपील करने से रहे शेष प्रकरण	9
8.	ए.ए.जी. की प्रविष्टियों से शेष रहे प्रकरणों की संख्या	0

72

बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपडेशन से शेष रहे प्रकरणों में, अपडेशन की कार्यवाही तत्काल करने हेतु संबंधितों को निर्देशित कर दिया गया है। जिन प्रकरणों में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके संबंध में अवगत कराया गया कि इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही करने के पश्चात ही लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपडेशन की कार्यवाही की जानी है। निर्णित प्रकरणों में पालना से संबंधित प्रकरण या विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन चल रहे हैं। प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति लाईट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से 100 प्रतिशत कर दी गई है।

बैठक के दौरान निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर के स्तर पर बीस वर्ष से अधिक की अवधि से लम्बित शेष 6 प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के संबंध में सभी संबंधितों को पूर्व में ही दिनांक 27.03.2018 को निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।

बैठक के दौरान निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर तथा आयुक्तालय, महिला अधिकारिता कार्यालय, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणों का लाईट्स सॉफ्टवेयर पर समय पर इन्द्राज कराने, इस कारी में लम्बित प्रकरणों, रेड केटगरी केसेज के शीघ्र निस्तारण हेतु राजकीय अधिकारता से अविलम्ब सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराने, न्यायिक प्रकरणों में न्यायालय में तत्काल जवाब प्रस्तुत कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही जिन प्रकरणों में न्यायालय आदेशों की पालना नहीं हुई उन प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही करने के साथ-साथ अवमानना के प्रकरणों की समय पर पालना कराने हेतु भी सभी संबंधितों को समय-समय पर निर्देश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।


बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणों के दस्तावेजों (Documents) यथा सम्मन/जवाबदावा/याचिका की प्रति/अधिवदता की नियुक्ति संबंधी आदेश/न्यायालय निर्णय की प्रति आदि-आदि दस्तावेजों को लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपलोड कराने की कार्यवाही चल रही है। दिनांक 01.08.2017 के बाद के 183 प्रकरणों में से 166 प्रकरणों को लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपलोड करा दिया गया है।



उक्त के अतिरिक्त बैठक के दौरान निम्नांकित निर्देश भी पदान किये गये:-

1. समस्त न्यायिक प्रकरणों में प्रगारी अधिकारों के नियुक्ति आदेश लाईट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित करावे।
2. न्याय विभाग के निर्देशानुसार न्यायिक प्रकरणों में प्रगारी अधिकारी की नियुक्ति, प्रकरण प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में ही करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
3. रेड कटेगरी के प्रकरणों को शीघ्र निरस्तारित करने हेतु संबंधित राजकीय अधिकारताओं से सम्पर्क कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
4. ड्यू कोर्स में लम्बित न्यायिक प्रकरणों के संबंध में संबंधित राजकीय अधिकारता से विचार-विमर्श करने के उपरान्त, आवश्यक होने पर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना-पत्र न्यायालय में दायर करावे।
5. जिन प्रकरणों में राज्य के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित है उन प्रकरणों में पारित स्थगन आदेश को वेकैट कराने के लिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र अविलम्ब दायर कराने की कार्यवाही करावे।
6. लाईट्स वेबसाइट पर सभी न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अपडेशन हर माह की पांच तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करावे।
7. सभी जिला नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देशित करावे कि वे प्रत्येक माह के अन्तिम सोमवार को प्रत्येक जिले में न्याय विभाग द्वारा नियुक्त जिला नोडल अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के यहां आयोजित बैठक में उपस्थित होकर लाईट्स सॉफ्टवेयर पर दर्ज किये गये प्रकरणों, अपडेशन किये गये प्रकरणों से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत करावे।
8. लाईट्स सॉफ्टवेयर पर न्यायिक प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों (Documents) यथा सम्मान/जवाबदावा/याचिका की प्रति/अधिकारता की नियुक्ति संबंधी आदेश/न्यायालय निर्णय की प्रति आदि-आदि दस्तावेजों को अपलोड कराने की कार्यवाही समस्त-समय पर सुनिश्चित करावे।

9. 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के लम्बित प्रकरणों तथा 20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर, अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
 10. निर्णय की पालना से शेष प्रकरण तथा अपील करने से शेष प्रकरणों की समीक्षा कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- उक्त कार्यवाही के पश्चात् धन्यवाद के साथ वैतर्क सम्पन्न हुई।


 28.6.18

(एन.एल.जेवरिया)

राज्य स्तरीय नाडल अधिकारी एवं
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, सर्मांकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

 28.6.18

राज्य स्तरीय नाडल अधिकारी एवं
शासन उप सचिव